उत्तररेलवे

कार्यालय वरि. म. वि. अभि./परि./दिल्ली

Email: srdeersodli@gmail.com

मण्डलरेलप्रबंधककार्यालय

स्टेटएंट्रीरोड,उत्तररेलवे, नईदिल्ली

No. 230/Elect/RSO/Safety Drive/2025

दिनाँक:29.01.2025

सभी मुख्य लोको निरीक्षक,

समस्त वरिष्ठ चालक दल नियंत्रक/ लॉबी,

जाखल, जींद, रोहतक, शकूरबस्ती, दिल्ली सराय रोहिल्ला, दिल्ली, आनंद विहार, नया खुर्जा गाजियाबाद, मेरठ शहर, पानीपत, नई दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, तुगलकाबाद, पलवल, गढ़ी हरसरु

संरक्षा अभियान-RSO/SD-01/2025

विषय: लोको/SPV की फ्लैशर लाइट 'ऑन' करने के संबंध में ।

संदर्भ) :Dy. CEE/OP NRHQ Operational Circular No. 24 dt. 24.01.2024.

उपरोक्त के संदर्भ में, एक सुरक्षा अभियान तत्काल एक महीने के लिए शुरू किया जाना है, जिसमें निम्नलिखित पहलुओं पर विशेष जोर दिए हैं । जिसमे सुरक्षित ट्रेन संचालन सुनिश्चित करने के लिए फ्लैशर लाइट के कार्य के संबंध में निम्नलिखित निर्देशों को बताया गया हैं ।

1. डीजल/विद्युत लोको को शैड/यार्ड से चार्ज या लोको को टर्न आउट करते समय चालक दल फ्लैशर लाइट की जाँच करेंगे व उसके ठीक कार्य करने की सुनिश्चितता करेंगे। सभी लोको में ऑटो फ्लैशर लाइट का प्रावधान है, जो ट्रेन में लीकेज या बीपी प्रेशर के गिरने पर अपने आप जल जाती हैं। यदि चालक दल को फ्लैशर लाइट की उचित कार्यप्रणाली से सम्बंधित कोई अनियमितता मिलती हैं तो चालक इसकी पुष्टि लोको की लाग बुक में करेंगा (S.R 4.32/1) और यदि फ्लैशर लाइट कार्य स्थिती में न हो तो लोको को विफल घोषित किया जाना चाहिए ।

2. लोको/SPV में लगी हुई फ्लैशर लाइट को LP/ALP द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों में 'ऑन' किया जाना चाहिए ताकि adjacent लाइन पर विपरीत दिशा से आ रही ट्रेन के LP/ALP का ध्यान आकर्षित किया जा सके और उसे ट्रेन रोकने के लिए चेतावनी दी जा सके:-

i) किसी अज्ञात कारण से डबल लाइन सेक्शन पर ट्रेन रुक जाती है (S.R. 4.14/1)।

ii) जब दुर्घटना, विफलता, बाधा या अन्य असाधारण कारणों से स्टेशनों के बीच ट्रेन रुक जाती है और लोको पायलट पता है कि उसकी ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकती है। (G & S.R. 6.03)।

iii) डबल लाइन सेक्शन पर TSL के दौरान गलत लाइन से उचित प्राधिकरण पर कार्य करते समय (S.R. 6.02/1(D))।

iv) ACP/ट्रेन पार्ट/अन्य कारण से ट्रेन में बीपी प्रेशर के गिरने के कारण ऑटो फ्लैशर लाइट अपने आप जल उठती है, ऐसी स्थिती में उसे 'बंद' नहीं किया जाना चाहिए ।

v) गाड़ी के ट्रैक से पास होने पर या adjacent लाइन पर चालक दल को अगर किसी भी तरह की असुरक्षित स्थिति अनुभव होती हैं तथा अगर चालक दल की अपनी सुझबुझ से गाड़ी कार्य करना असुरक्षित हो (S.R. 6.07/3)।

vi) ओएचई का क्षणिक से अधिक देर के लिए ट्रिप होना (S.R. 17.09/5)।

vii) कोई अन्य स्थिति, जिसमें LP/ALP को लगता है कि विपरीत दिशा की ट्रेन को रोकना आवश्यक है।

3. यदि फ्लैशर लाइट खराब हो जाए, तो आने वाली ट्रेन का ध्यान आकर्षित करने के लिए हेड लाइट को बार-बार 'चालू' और 'बंद' किया जा सकता है (S.R. 6.03/3d)।

4. फ्लैशर लाइट ऑन करने के अलावा, खतरे का hand signal संकेत भी दिखाया जाएगा और Adjacent लाइन की ट्रेन के LP/ALP को चेतावनी देने के लिए अन्य सुरक्षा उपाय भी नियमों के अनुसार किए जाएंगे।

5. फ्लैशर लाइट को केवल तभी 'बंद' किया जाएगा जब लोको पायलट को लगे कि उसकी ट्रेन आगे बढ़ने की स्थिति में है या यह मान लिया गया हो कि Adjacent लाइन, यदि कोई हो, सुरक्षित है और सहायता प्राप्त करने के लिए किसी भी आने वाली ट्रेन को रोकना आवश्यक नहीं है (S.R. 6.03/3(D))

6. जब किसी आने वाली ट्रेन का लोको पायलट फ्लैशर लाइट/ब्लिंकिंग लाइट या चमकती हुई HS लैंप की रोशनी देखता है, तो उसे तुरंत अपनी ट्रेन को अवरोध से पहले रोकने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए और प्रभावित ट्रेन को हर संभव सहायता प्रदान करनी चाहिए (S.R. 6.03/3(C))।

अतः सभी मुख्य लोको निरीक्षकों को निर्देश दिये जाते है की अपने नामित व गैर नामित रनिंग स्टाफ को उक्त ड्राइव के अंतर्गत सभी मदों पर गहनता से काउंसिल करे एवं ड्राइव की रिपोर्ट 20.02.25 को मण्डल कार्यालय में या CLI Whatsapp पर भेजें ।

वरिष्ठ मण्डल विद्युत अभियन्ता/परिचालन/दिल्ली

<u>प्रतिलिपि</u>:

- PS to DRM for kind information of DRM please.
- CELE/NR, CRSE/Fr./NR, NDBH.
- ADRM/OP.
- Sr.DSO/DLI.
- DEE/RSO/DLI & ADEE/RSO/DLI.
- Principal ETC/ GZB, Principal DTC/TKD, Principal RSTC/Shakurbasti.
- CLI/BTC/TKD, CTC/NDLS Control.

Northern Railway

Headquarters Office
Baroda House
New Delhi-110001

NRHQ Operational Circular No. 24

No-230-Elect/TRS/202/Operational circulars

Dated: 24.01.2025

Sr. Divnl. Elect. Engineer/RSO,
D.R.M. Office,
LKO, MB, UMB, FZR & NDLS

Sr. Divnl. Elect. Engineer/Traction,
JAT

SUB: Putting 'on' the Flasher light of Loco/SPV.

In view of a run over case in one of the Railway, following instructions are reiterated with regard to function flasher light to ensure safe train operation.

1. When taking over charge and turning out diesel/electric loco from shed/yard, the Loco Pilot shall test and ensure the efficient working of the flasher light. There is a provision of auto flasher light in all the locos, which glows automatically after leakage or drop of BP pressure in train. Crew shall also ensure proper functioning of both and make an entry in the engine log book (S.R. 4.32/1). Loco to be declared failed, if flasher light is not in working order.

2. Flasher light provided in the loco/SPV should be put 'on' by the LP/ALP in following circumstances to attract the attention of the LP/ALP of a train approaching from the opposite direction on the adjacent line to warn him for stopping the train:

    i) Train comes to a stop on a double line section for any unknown reason (S.R.4.14/1).
    ii) When a train is stopped between stations on account of accident, failure, obstruction or other exceptional cause and the Loco Pilot finds that his train can't proceed. (G&S.R. 6.03).
    iii) While running on the wrong line on proper authority to proceed during TSL on double line section {S.R. 6.02/1(d)}.
    iv) After leakage or drop of BP pressure in train due to ACP/train part/other reason. Auto flasher lights glows automatically in such scenario, shall not be put 'off'.
    v) In the event of experiencing any obstruction or any other unsafe condition, on or near the track adjacent to the line over which his train has passed and which in his opinion is detrimental to safe train running(S.R.6.07/3).
    vi) Tripping of OHE more than transient (S.R. 17.09/5).
    vii) Any other situation, in which LP/ALP feels that it is necessary to get stop the train of the opposite direction.

3. In case the flasher light fails, head light may be switched 'on' & 'off' repeatedly to attract the attention of the approaching train (S.R.6.03/3).

3. प्रमोद

4. In addition to putting the flasher light on, danger hand signal shall be shown & other protection for warning the LP/ALP of the train of adjacent line will also be taken as per extent rules.

5. The flasher light shall be switched 'off' only when the Loco Pilot finds that his train is in a position to proceed or after it has been assumed that the adjacent line, if any, is free from obstruction and it is not necessary to stop any approaching train to obtain assistance {S.R.6.03/3(d)}.

6. When the Loco Pilot of an approaching train sees the flasher light/blinking light or the light of the flashing HS lamp, he shall at once take action to stop his train short of the obstruction and render all possible assistance to the affected train {S.R.6.03/3(d)}.

Please ensure compliance of above instructions.

(Kamal Kant Rastogi)
Dy. CEE/OP

Copy to: PCEE/NR and CEE/Operations : For kind information please.